न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्या :– 03/2024
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/207

अपीलार्थीया

मोहनी देवी पुत्री उदाराम,
पत्नी बाबुलाल, जाति–बिश्नोई,
निवासी–भरकुंआ हरियाली,
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

रेस्पोडेण्ट

1 पांचाराम पुत्र धूड़ाराम तथाकथित
दत्तक पुत्र उदाराम, जाति–बिश्नोई
निवासी–सियागांव पुर, तहसील–
सांचौर, जिला–जालोर
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर
3 सोमीदेवी पुत्री उदाराम पत्नी राजुराम,
जाति–बिश्नोई, निवासी–पुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू :– 04.10.2024

उपस्थिति :–

1. अपीलार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट् संख्या 01 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. रेस्पोडेण्ट् संख्या 03 की ओर से विद्वान अधिवक्ता रमेश कुमार कलबी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–27.03.2026

अपीलार्थीया मय अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पुर में अवस्थित खाता संख्या 119 में गत खसरा संख्या 103, 135, 133, 134 जोधाराम, धुड़ाराम, उदा पिता पाबू कौम बिश्नोई सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज थे। उक्त गत खसरा नंबर के नये खसरा नंबर 176, 227, 228, 229 बनाये गये। उदाराम पुत्र पाबू जो कि विवादित आराजी के 1/3 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार थे। वर्तमान अपीलाण्ट व प्रफोर्मा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्व. उदाराम की जायन्दा पुत्रियां है, बावजूद इसके उदाराम की मृत्यु हो जाने के पश्चात बिना अपीलाण्ट व प्रफोर्मा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की जानकारी में लाये रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा तथाकथित गोदनामा जो उदाराम की पत्नी चुन्नी जो अपीलाण्ट की माता है, के द्वारा दिनांक 24.12.1985 को वर्तमान रेस्पोडेण्ट के पक्ष में निष्पादित किया जाना बताते हुए उक्त गोदनामें के आधार पर सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के समक्ष एक आवेदन बाबत् फौतेदगी एवं गोदनामा का इन्द्राज करवाने बाबत् प्रस्तुत किया, जिस पर वर्तमान अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्व. उदाराम की जायन्दा पुत्रियां होने के बावजूद नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 26.08.1986 के जरिये स्व. उदाराम का विरासतन नामान्तरकरण केवल मात्र अकेले पांचाराम पुत्र धुड़ाराम के नाम स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीया इस माननीय न्यायालय के

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

समक्ष निम्न ठोस आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 26.08.1986 न्याय नियम रिकॉर्ड के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विवाद स्व. उदाराम पुत्र पाबू के विरासतन का है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान् को अपने पिता की संपति में उतराधिकार प्राप्त होगा। यहां यह कहना उल्लेखनीय होगा कि मृतक उदा के दो जायन्दा पुत्रियां है, जो अपीलार्थीया एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 है उसके अलावा मृतक उदा के पत्नी चुन्नी देवी थी जिनका भी देहान्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में विरासतन नामान्तरकरण मृतक उदाराम की जायन्दा पुत्रियों के पक्ष में स्वीकृत किया जाना चाहिये, बावजूद सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा मृतक उदा का विरासतन नामान्तरकरण केवल अकेले मात्र वर्तमान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किये जाने में गंभीर कानूनी भूल कारित की है, इसलिए पारित आदेश काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि यदि मृतक उदा की पत्नी चुन्नी देवी द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में कोई गोदनामा भी निष्पादित किया हो तो भी कानूनन अधिक से अधिक उक्त गोदनामें के आधार पर मृतक उदा की संपति में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को गोद पुत्र की हैसियत से कानूनन केवल मात्र 1/3 हिस्सा ही प्राप्त हो सकता है। शेष 2/3 हिस्सा वर्तमान अपीलार्थीया रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को कानूनन प्राप्त होगा। उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आक्षेपित नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने में कानूनी भूल कारित की है। अतः पारित नामान्तरकरण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन में स्व. उदा के अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 जायन्दा पुत्रियां है जिसे छिपाया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि वर्तमान अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 मृतक उदाराम की जायन्दा पुत्रियां है इसलिए स्वीकृत नामान्तरकरण उनके अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। नामान्तरकरण संख्या 21 में वर्तमान अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को ना तो पक्षकार बनाया गया एव ना ही उक्त नामान्तरकरण में वर्तमान अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी स्थिति में आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 26.08.1986 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के भी प्रतिकूल है। अतः पारित नामान्तरकरण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त अपील दिनांक 04.10.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 उपस्थित आया तथा जवाब अपील पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 21 ना तो उदाजी के उतराधिकारी का नामान्तरकरण है न ही नामान्तरकरण संख्या 21 का ग्राम पुर के खाता संख्या119 के खसरा नंबर 103, 135, 133, 134 से कोई सारोकार है जो गलत आदेश की गलत अपील पेश की है। उक्त खसरा नंबर से संबंधित ना तो नामान्तरकरण संख्या 21 स्वीकृत हुआ है, ना ही उक्त तारीख को स्वीकृत हुआ है अतः बिना आदेश के गलत अपील पेश की जो प्रथम दृष्ट्या काबिल खारिज के है अतः उक्त अपील खारिज फरमावें। अपीलार्थीया द्वारा कथित अपील में जिस नामान्तरकरण के आदेश को दी गई है। उस नामान्तरकरण हेतु जो आदेश हुआ वह प्रभावी है उस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। उस आदेश के प्रभावी रहते उस आदेश की पालना में पारित नामान्तरकरण आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता। किसी दस्तावेज नामान्तरकरण या कोई दस्तावेज जो तैयार हुआ उसका अम्ल हुआ व

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

उसका 30 वर्ष तक प्रभाव रहा या 30 वर्ष पुराने किसी दस्तावेज को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता एवं यह कह देना मात्र कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी, उसे सुना नहीं गया जो अमान्य है। 30 वर्ष पुराने तैयार दस्तावेज को नहीं मानने का कोई आधार ग्राहय नहीं होगा सो जिस दस्तावेज को अपीलार्थी चुनौती दे रहा है, वह 38 वर्ष पुराना है जिसे नहीं मानने का कोई कारण नहीं है सो उजर खारिज फरमाया जाकर नामान्तरकरण यथावत रखा जावे। अपीलार्थीया ने हमारे खिलाफ कोई प्रभावी आदेश अपील नहीं की है न ही नामान्तरकरण संख्या 21 से हमारा कोई सरोकार है न ही दिनांक 26.08.1986 से हमारा कोई सारोकार है परन्तु नामान्तरकरण अपील दर्ज तारीख को भी माना जाये तो उक्त आदेश को 38 वर्ष होने आये है। ऐसी स्थिति में मेरे नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने के बाद राजस्व रेकर्ड में कई इन्द्राज हुए एवं आपसी बंटवाड़ा भी हुए। सहखातेदारों की फौतेदगी नामान्तरकरण हुए। द्वितीय सर्वे का पट्टा दिया गया। जिस पर आपत्ति सुनी गई फिर अंतिम पक्का पट्टा दिया गया था। उसके बाद कई बार ऋण लिया गया, जो मौका देखकर ऋण दिया गया तथा अपीलार्थीयां कोई हकदार होती तो उस वक्त कार्यवाही करती परन्तु ऐसा नहीं हुआ न ही अपीलार्थीया का ग्राम पुर से कभी कोई सारोकार रहा हो, ऐसा भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया इसलिए अपीलार्थीया अजनबी होना प्रमाणित है, जो किसी तरह की अपील करने का अधिकार नहीं रखती है, अतः अपील खारिज फरमावें। उक्त अपील राजस्व रेकर्ड में मेरे नाम खातेदारी दर्ज होने के 38 वर्ष बाद व अपीलार्थीया के वयस्क होने के 28 वर्ष बाद पेश की है तथा अपने आप को कथित तौर पर उदाजी की उतराधिकारीणी बताया है जो, इतने लम्बे अंतराल में अपीलार्थीया के बारे में कुछ नहीं सुनना तथा अपीलार्थीया ग्राम पुर में उदाजी के परिवार से कोई सरोकार होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जबकि मेरे नाम खातेदारी दर्ज होने के बाद मेरे व उदाजी के भाईयों के मध्य आपसी विभाजन हुआ, दो भाईयों के फौत होने पर उनका नामान्तरकरण हुआ। ऐसी कोई अपीलार्थीया वारिस होती तो उस वक्त भी आपत्ति कर सकती थी। इस भूमि पर मैंने समय–समय पर ऋण लिया जो मौका जांच कर बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में भी अपीलार्थीया के बारे में कुछ नही सुनना व अब अपील पेश करना स्पष्ट रूप से अपील म्याद बाहर है। अपीलार्थीया ने अपना कोई उतराधिकार तैयार नहीं करवाया न ही उतराधिकार तय करने की कोई फीस अदा की है, अतः अपील काबिल खारिज के है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीया उक्त बिन्दूओं पर गौर फरमाया जाकर काबिल खारिज होने से खारिज फरमावें।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 द्वारा जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का जवाब अवसर बंद किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 सोमीदेवी द्वारा जवाब अपील पेश कर निवेदन किया उक्त अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के समस्त अवतरण स्वीकार है तथा माफिक इस्तदुआ अपील स्वीकार की जाती है तो मुझ रेस्पोडेण्ट् संख्या 3 सोमीदेवी को कोई आपत्ति अथवा एतराज नहीं है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पुर में स्थित खाता संख्या 119 में गत खसरा संख्या 103, 135, 133, 134 जोधा, धुड़ा, उदा पिता बाबू, कौम बिश्नोई, सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज थे। उक्त गत खसरा नंबर के नये खसरा नंबर 2027/176, 227, 228, 229 सृजित हुए। उदाराम पुत्र

पाबू जो कि विवादित आराजी के 1/3 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार थे, वर्तमान अपीलार्थीया स्व. उदा की जायन्दा पुत्री है, बावजूद इसके उदाराम की मृत्यु के बाद रेस्पोडेण्टस संख्या 1 द्वारा तथाकथित गोदनामा जो उदाराम की पत्नी चुन्नी जो अपीलार्थीया की माता है, के द्वारा दिनांक 24.12.1985 की वर्तमान रेस्पोडेण्टस के पक्ष में निष्पादित किया जाना बताते हुए उक्त गोदनामें के आधार पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष एक आवेदन बाबत् फौतेदगी एवं गोदनामा का इन्द्राज करवाने बाबत् पेश किया, जिस पर वर्तमान अपीलार्थीया व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्व. उदाराम की जायन्दा पुत्रियां होने के बावजूद नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 26.08.1985 को जरिये स्व. उदाराम का विरासतन नामान्तरकरण केवल मात्र अकेले पांचाराम पुत्र धुड़ाराम के नाम स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि यदि मृतक उदा की पत्नी चुन्नी देवी द्वारा रेस्पोडेण्टस संख्या 1 के पक्ष में कोई गोदनामा भी निष्पादित किया हो तो भी कानूनन अधिक से अधिक उक्त गोदनामें के आधार पर मृतक उदा की संपति में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को गोदपुत्र की हैसियत से कानूनन केवल मात्र 1/3 हिस्सा ही प्राप्त हो सकता है। शेष 2/3 हिस्सा अपीलार्थीया व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 को कानूनन प्राप्त होगा। उक्त नामान्तरकरण संख्या 21 में वर्तमान अपीलार्थीया व रेस्पोडेण्टस संख्या 3 को ना तो पक्षकार बनाया गया एवं ना ही उक्त नामान्तरकरण में वर्तमान अपीलार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी स्थिति में आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 26.08.1986 प्राकृतिक न्याय के विद्वान के भी प्रतिकूल है अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि पारित नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 26.08.1986 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक उदाराम के सभी जायन्दा वारिसान् की जांच कर विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 21 जो ना तो उदाजी के उतराधिकार का नामान्तरकरण है न ही नामान्तरकरण संख्या 21 का ग्राम पुर के खाता संख्या 119 के खसरा संख्या 103, 135, 133, 134 से कोई सरोकार है जो गलत अपील पेश की है। अपील में जिस नामान्तरकरण के आदेश को चुनौती दी है उस नामान्तरकरण हेतु जो आदेश हुआ वह प्रभावी है उस आदेश को चुनौती नहीं की गई है। नामान्तरकरण या कोई दस्तावेज जो तैयार हुआ उसका अमल हुआ व उसका 30 वर्ष तक प्रभाव रहा या 30 वर्ष पुराने किसी दस्तावेज को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि यह कहना मात्र कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी जो अमान्य है। नामान्तरकरण संख्या 21 के रेस्पोडेण्ट्स के कोई सरोकार नहीं है न ही दिनांक 26.08.1986 से कोई सरोकार है। अपीलार्थीया का ग्राम पुर से भी कोई सरोकार रहा हो ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया, इसलिए अपीलार्थीया अजनबी होना प्रमाणित है। सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी के द्वारा नामान्तरकरण की अपील जिला कलक्टर महोदय के समक्ष होगी ना की श्रीमान के समक्ष अतः अपील प्रथम दृष्ट्या काबिल खारिज के है एवं कथित नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 26.06.1986 से उदाजी के उतराधिकार का खसरा नंबर 103, 133, 135, 134 से कोई सरोकार नहीं है। उक्त अपील राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज होने के 38 वर्ष बाद व अपीलार्थीया के व्यस्क होने के 28 वर्ष बाद पेश की है, जो इतने लंबे अंतराल में अपीलार्थीया के बारे में कुछ नहीं सुनना तथा अपीलार्थीया ग्राम पुर में उदाजी के परिवार से कोई सरोकार होने का दस्तावेज पेश नहीं किया

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

है, जबकि रेस्पोडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज होने के बाद रेस्पोडेण्ट के व उदाजी के भाईयों के मध्य आपसी विभाजन हुआ। दो भाईयों के फौत होने पर उनका नामान्तरकरण हुआ ऐसी अपीलार्थीया वारिस होती तो उस वक्त भी आपति कर सकती थी उक्त भूमि में समय समय पर ऋण भी लिया, ऐसी स्थिति में अपील स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील अपीलार्थीया उक्त बिन्दूओं पर गौर फरमाया जाकर काबिल खारिज होने से खारिज फरमावें।

हम प्रकरण को सर्वप्रथम म्याद के विषय पर निर्णित करना आवश्यक समझते है। अव्वल तो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि कॉलम संख्या 16 में श्रीमान ।त्व पार्टी नंबर 3 के आदेश ठ थ्यसम की क्रम संख्या 21 के अनुसार भरा गया तथा ठ थ्यसम में पांचाराम को गोदपुत्र अंकित करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि मृतक उदा की वह एकमात्र संतान व वारिसान् है तथा पांचााम मृतक उदा का गोदपुत्र पुत्र है, जिसे रेस्पोडेण्ट पांचाराम ने भी स्वीकार किया है कि वह पांचाराम का गोदपुत्र है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण में वारिसान् की जांच किए बिना एवं विधिक प्रावधानों का सम्यक अनुपालन किये बिना नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जो विधि की दृष्टि से आरम्भत् शून्य है तथा ऐसी दशा में म्याद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना विधि और विधिक प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है। अपीलाण्ट द्वारा ग्रामीण अनपढ़ महिला होने तथा उसके द्वारा संबंधित पटवारी से वादग्रस्त आराजी की नकल दिनांक 02.09.2024 को प्राप्त करने पर स्वयं का नाम भू–अभिलेख में दर्ज नहीं होने की जानकारी होने के आधार पर विलम्ब काल को माफ किये जाने के निवेदन को स्वीकार करना हम कानूनन उचित समझते है क्योंकि विधि और विधिक प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य यह होता है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रक्रियागत प्रावधान निर्णय में साधन के रूप में होते है न कि साध्य के रूप में। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम बखूबी साबित होने से एवं विधिसंगत होने से स्वीकार किया जाना हम विधिसम्मत एवं उचित समझते है।

हमने अपीलार्थीया व रेस्पोडेण्टस के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् का भली भांति अवलोकन करने एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि हस्तगत अपील ग्राम पुर के नामान्तरकरण संख्या 21 में श्रीमान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी पार्टी संख्या 3 के आदेश दिनांक 26.08.1956 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के सलंग्न अपीलार्थीया द्वारा पेश नामान्तरकरण संख्या 21 की प्रमाणित प्रति का अध्ययन किया जिसमें ग्राम पुर के खाता संख्या 119 में खेत खसरा संख्या 103, 135, 133, 134 में जोधाराम, धुड़ाराम, उदा पिसरान् पाबू कौम बिश्नोई, सा.देह खातेदार दर्ज होने पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी पार्टी संख्या 3 के आदेश बी फाइल अनुसार उदा पुत्र पाबू के स्थान पर पांचाराम गोद उदा हिस्सा 1/3 दर्ज किया गया जो नामान्तरकरण संख्या 21 से स्पष्ट है।

पत्रावली में उपलब्ध अपीलार्थीया द्वारा पेश पाठशाला प्रवेशानुज्ञा/ट्रान्सफर सर्टिफिकेट जो राजकीय प्राथमिक विधालय जे. ढ़ाणी पुर द्वारा जारी किया गया जिसके अनुसार मोहनी बाई की वल्दियत उदाराम व माता का नाम चुन्नी देवी लिखा गया है,

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

इसी प्रकार आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड में भी मोहनीदेवी की वल्दियत उदाराम लिखी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों दस्तावेज सरकारी एजेन्सी द्वारा जारी किये गये है। अपीलार्थीया ने ग्राम पंचायत हरियाली पंचायत समिति सांचौर दिनांक 15.05.2025 का प्रमाण–पत्र पेश किया जो प्रेमकंवर/अर्जुनसिंह राजपुत उपसरपंच हरियाली द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण–पत्र अनुसार स्व. उदाराम के संतान दो पुत्रियां बतायी गई है जो सोमी देवी व मोहनी देवी है इन दो पुत्रियों के अलावा और कोई संतान नहीं होना बताया है। अपीलार्थीया द्वारा पच्चास–पच्चास रूपये के स्टाम्प पर झीमादेवी पत्नी मालाराम, जाति–बिश्नोई, निवासी–पुर, हाल निवासी मानपुरा कॉलोनी जालोर, आसुराम पुत्र जोधाराम जाति बिश्नोई निवासी पुर तहसील सांचौर, आदुराम पुत्र मोबताराम जाति बिश्नोई निवासी वोढ़ा तहसील सांचौर, भाकराराम पुत्र सुजानाराम जाति बिश्नोई निवासी वोढ़ा तहसील सांचौर, हनुमानाराम पुत्र जगमालाराम जाति बिश्नोई, निवासी खारा तहसील सांचौर, केसी देवी पत्नी जगमाल, जाति बिश्नोई, निवासी वोढ़ा, तहसील सांचौर, राजुराम पुत्र करनाराम, जाति बिश्नोई, निवासी पुर, तहसील सांचौर, गोगी देवी पत्नी रूपाराम, जाति बिश्नोई, निवासी पुर, तहसील सांचौर, सायती देवी पत्नी आसुराम, जाति बिश्नोई, निवासी पुर, तहसील सांचौर, खिवणी देवी पत्नी भूराराम, जाति–बिश्नोई, निवासी–धनेरिया के शपथ पत्र पेश किये गये। उक्त तमाम शपथ पत्र में बताया गया है कि स्व. उदाराम व स्व. चुन्नी देवी पत्नी उदाराम को हम पहचानते है। स्व. उदाराम व उनकी धर्मपत्नी चुन्नी देवी के पीछे दो जाईन्दा संतान पुत्रियां सोमीदेवी व मोहनी देवी है। इसी प्रकार अणदाराम पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हरियाली का भी शपथ पत्र अपीलार्थीया द्वारा पेश किया गया है, जिसके अनुसार भी स्व. उदाराम के संतान दो जाईन्दा पुत्रियां सोमीदेवी व मोहनी देवी को बताया है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों एवं शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीया मोहनी देवी रेस्पोडेण्ट संख्या 3 सोमीदेवी स्व. उदाराम की पुत्रियां है। उक्त पुराने खसरा संख्या 103, 135, 133, 134 से नवीन खसरा संख्या 176, 227, 228, 229 नवसृजित हुए है जो मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलार्थीया स्व. उदाराम की पुत्री/संतान नहीं हो तथा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किसी नामान्तरकरण के विरूद्व अपील इस न्यायालय में पेश नहीं की जा सकती है, के संबंध में भी कोई कानून पेश नहीं किया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 21 में राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलाधीन आराजी में अपीलार्थीया के पिता स्व. उदाराम पुत्र पाबू फौत होने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पांचाराम गोद उदा का नाम दर्ज किया है लेकिन स्व. उदा पुत्र पाबू की पुत्रियां अपीलार्थीया मोहनी देवी व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 सोमी देवी का नाम नामान्तरकरण संख्या 21 में उदा फौत होने पर दर्ज नहीं किया है, जबकि पुश्तैनी भूमि में सभी पुत्र/पुत्रियां हिन्दू उतराधिकारी मानी गई है। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थीया व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 का नाम नामान्तरकरण में आना चाहिए था, लेकिन इनका नाम इन्द्राज नहीं किया गया, न ही इसके संबंध में कोई विधिक कार्यवाही का कारण बताया गया है। उक्त नामान्तरकरण भरते समय उक्त त्रुटि हुई है एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत सुनवाई करने का अभाव पाया गया है। उक्त नामान्तरकरण में अपीलार्थीया मोहनी देवी व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 सोमी देवी का नाम नहीं आने के संबंध में किसी प्रकार का कॉलम संख्या 16 में नोट

सहायक कलेक्टर, सांचौर

अंकित किया हुआ नहीं है। अतः अपीलार्थीया अपने पिता की आराजी में विधिक हकदार होना साबित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण राजस्थान भू–राजस्व (अभिलेख) नियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 21 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचानानुसार अपीलार्थीया की अपील स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी (ए.आर.ओ पार्टी नंबर 3) द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 21 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 21 को तहसीलदार सांचौर को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि अपीलाधीन आराजी में उदा पुत्र पाबू, जाति–बिश्नोई, निवासी–पुर, तहसील–सांचौर के तमाम वारिसान् की जांच कर उसके अनुरूप नामान्तरकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार सांचौर को प्रेषित की जावें। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 27/3/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)